संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि रेल विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी द्वारा भटनी–औड़ीहांर रेल मार्ग (कि0मी0 1.00 से 28.226 तक) के दोहरीकरण कार्य हेतु आवश्यक 38.8283 हे0 संरक्षित वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण रेल विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी के प्रबन्धक (श्री मुनेंद्र कुमार) एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया द्वारा आज दिनांक 27.11.2020 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। रेल विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी द्वारा भटनी–औड़ीहार रेल मार्ग (कि0मी0 1.00 से 28.226 तक) के दोहरीकरण कार्य में 38.8283 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2052 वृक्षों का पातन निहित है उक्त दोहरीकरण कार्य में प्रभावित 38. 8283 हे0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना आवश्यक है जो न्यूनतम है इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि नहीं है।

उक्त प्रभावित संरक्षित क्षेत्र में 2052 वृक्षों जो विभिन्न प्रजातियों के अवरोधक है, जिसका विस्तृत सर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न है। उक्त कार्य हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–278/आन लाइन दिनांक 29. 08.2014 के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी/अभिकरण द्वारा प्रस्ताव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के विभागीय बेबसाइट (www.parivesh.nic.in) पर आन लाइन प्रस्तुत कर वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमति प्राप्त कर वृक्षों के पातन एवं संरक्षित क्षेत्र को गैर वानिकी प्रयोग किया जाना है।

Manager/Civil
RVNL / BSB

(मुनेंद्र कुमार)
प्रबन्धक
रेल विकास निगम लिमिटेड,
वाराणसी,

(दीनानाथ राय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

E/Rajesh Pandey /DM. branch Letter-2017